

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 01 जून, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर।
अपर निदेशक (प्रशि0 संस्थान), गोमतीनगर, लखनऊ।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (सर्वो0न्या0कार्य), गाजियाबाद।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य) प्रयागराज।
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (उ0न्या0कार्य), लखनऊ।

विषय: नयी पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित कार्मिकों की सेवा काल में मृत्यु की दशा में देय देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301 (9)-2011 दिनांक 19.05.2016, शासनादेश संख्या-31/2016/सा0-3- जी0 आई0-17/दस-2016-301 (9) 2011 दिनांक 06.10.2016, तथा शासनादेश संख्या- 07/2017/सा-3-108/दस-2017-301 (9)-2011 दिनांक 20.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नयी पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कार्मिक की मृत्यु की दशा में देय असाधारण पारिवारिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन, जमा धनराशि के प्रत्याहरण तथा मृत्यु उपादान के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

कृपया उपरोक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोषागार के माध्यम से नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। कार्मिकों के अर्जित अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा (GIS) के अन्तर्गत जमा के भुगतान की कार्यवाही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमिश्नर कैम्प) वाणिज्य कर मुख्यालय।
2. ✓ ज्वाइंट कमिश्नर आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Ainn

SP

Pecifi

01.06.21

426